न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 138/25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025/483

उनवान

1. महेशकुमार मूलचन्द कोठारी पिता मूलचन्द जी कोठारी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी 1302, कुमार सोफियाना को. हॉ.सो. आदेश्वर भगवान मार्ग, राणी बाग, भायखला पूर्व मुम्बई (महाराष्ट्र) .....प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पुत्र रामा जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी मोरड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. नारू पुत्री रामा जी पत्नी मोहन जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी मोरड़ी, हाल प्रकाशपुरा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
3. बबुदेवी महेशकुमार कोठारी पत्नी महेशकुमार कोठारी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी 1302, कुमार सोफियाना को. हॉ. सो. आदेश्वर भगवान मार्ग, राणी बाग, भायखला पूर्व मुम्बई (महाराष्ट्र)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित 1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक :–04.06.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा मोरड़ी, पटवार हल्का बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 1167 रकबा 0.5827 हैक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 प्रत्येक के नाम पर 1/2–1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं। उक्त वर्णित आराजी के पूर्वी पडौस में आराजी नम्बर 1116 रकबा 0.9227 हैक्टेयर स्थित है जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज हैं अर्थात मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 की उक्त वर्णित आराजी के पूर्वी दिशा के विपक्षी संख्या 1, 2 पड़ौसी खातेदार हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजी भूमि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर हम अपने परिवारजनों सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं किन्तु विपक्षी संख्या 1. 2 हमारी उक्त आराजी के पूर्वी दिशा के पड़ौसी है जिस वजह से विपक्षी संख्या 1, 2 हर समय हमारी इस आराजी की भूमि की सीमा को लेकर लड़ाई झगड़ा करते है। हमें एवं हमारे परिवार को हमारी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करते हैं तथा सीमा के स्थाई चिन्ह नही होने से विपक्षी संख्या 1, 2 व इनके परिवार के लोग प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने हमारी जमीन की तरफ बढ़ जाते है और सीमा बाबत् विवाद करते है तथा हमारी भूमि की सीमा पर जबरन तारबंदी करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:20 IST
Reason: SelfAttested

की धमकीयां देते हैं और हमें एवं हमारे परिवारजन को हमारी उक्त वर्णित भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नही करने देते है और हमारे कब्जे उपयोग में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा करते है तथा हमारी बाड व बाड में खड़े वृक्षों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। जबकि विपक्षी संख्या 1. 2 या अन्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है।

3. यह कि हम व हमारे परिवारजन हमारी खातेदारी की इस आराजी की भूमि पर काबिज है और परिवारजन सहित शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है लेकिन विपक्षी संख्या 1, 2 जो हमारी जमीन के पूर्वी दिशा के पड़ौसी होने की वजह से हर समय हमारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते है एवं लडाई झगडा कर हमारी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते हैं तथा वर्तमान में भी विपक्षी संख्या 1, 2 हमको डरा धमका कर हमारी जमीन को नाजायज तरीके से हड़पने पर आमादा हो रहे है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये मुझ प्रार्थी को हमारी उक्त कृषि भूमि की पूर्वी दिशा की सीमा की पत्थरगढ़ी कराना जरूरी हो गया है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमि की विधिवत रूप से सीमा जानकारी कराये जाने हेतु मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.05.2025 को श्रीमान् तहसीलदार मावली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा सीमा जानकारी हेतु पटवारी को निर्देशित किया गया। तहसीलदार मावली के आदेशानुसार सीमा जानकारी हेतु दिनांक 10.06.2025 को पटवारीजी मौके पर पहुँचे और मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण सीमा जानकारी कराई जाना सम्भव नहीं होने की रिपोर्ट कर दी गई। पटवारीजी द्वारा मौके पर विवाद की स्थिति होने से हम प्रार्थीगण को पत्थरगढ़ी कराने हेतु हिदायत दी गई। इसलिये मुझ प्रार्थी की उक्त भूमि की पूर्वी दिशा की पत्थरगढ़ी कराना जरूरी हो गया हैं जिस हेतु मुझ प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध अंतिम बार प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 10–06–2025 को उत्पन्न हुआ जब हमने पड़ौसी खातेदारों विपक्षी संख्या 1, 2 को हमारी भूमि की पूर्वी दिशा की सीमा की पत्थरगढ़ी कराने में सहयोग प्रदान करने के लिये कहा तो विपक्षी संख्या 1, 2 इसके लिये तैयार नही हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित आराजी नम्बर 1167 की पूर्वी दिशा की सीमा (सांकेतिक नवशा में लाल रंग से दर्शाया गया है) का सीमांकन कराया जाकर स्थायी पत्थरगढ़ी कराई जावें तथा हमारी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी मुझ प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1, 2 से दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावें। साथ ही विपक्षी संख्या 1, 2 को पाबंद किया जावें कि वो हमारी खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puniadia
Date: 2025.10.24 16:55:20 IST
Reason: SelfAttested

एवं कब्जे उपयोग की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, नुकसान नही पहुँचावे और हमारी कृषि भूमि का हमें व हमारे परिवारजनों को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, कच्चा / पक्का निर्माण कार्य नही करे, किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावें। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्ध अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन करने से कार्यवाही ड्रोप की गई। विपक्षी संख्या 4 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 की खातेदारी हक की भूमि है प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 पति पत्नी है। ऐसे में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 की सहखातेदारी हक की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान कराने का श्रम करावें।

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा मोरडी पटवार हल्का बडियार तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 128 पर दर्ज आराजी नम्बर 1167 रकबा 0.5827 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 के नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 आपस में पति पत्नी है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 अपनी सहखातेदारी हक की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहते है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की सहखातेदारी भूमि की पत्थरगडी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगडी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी द्वारा अनुतोष में अंकित किया है कि हमारी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी मुझ प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1, 2 से दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावें। साथ ही विपक्षी संख्या 1, 2 को पाबन्द किया जावें कि वो हमारी खातेदारी एवं कब्जे उपयोग की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, नुकसान नही पहुँचावे और हमारी कृषि भूमि का हमें व हमारे परिवारजनों को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, कच्चा / पक्का निर्माण कार्य नही करे, किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावें। इस संबंध में विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punjadia
Date: 2025.10.24 16:55:20 IST
Reason: SelfAttested

पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। जिसमें केवल मात्र प्रार्थी की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी करने के आदेश दिए जा सकते है। कब्जा प्राप्त करने एवं विपक्षीगण को पाबंद कराने हेतु प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

9. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/– रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा मोरडी पटवार हल्का बडियार तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 128 पर दर्ज आराजी नम्बर 1167 रकबा 0.5827 हैक्टेयर भूमि की पूर्व दिशा का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी, विपक्षीगण एवं उक्त वर्णित भूमि के पूर्व दिशा के पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थी, विपक्षीगण एवं उक्त वर्णित भूमि के पूर्व दिशा के पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्ष कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
10. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
11. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:20 IST
Reason: SelfAttested